न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :—सुरेश राव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः—80 / 2020
जी.सी.एम.एस नं.—2020 / 00155

सुचिता शर्मा पत्नी राजेन्द्रकुमार पुत्री हंसराज जाति ब्राहम्ण निवासी कोट हरनामदास गली नं.—8, मकान नं.—10497 सुल्तान विंड रोड़, अमृतसर जिला अमृतसर (पंजाब)

———वादीया

बनाम्

1. तिलकराज पुत्र हंसराज जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नं.—25, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगागनर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

————प्रतिवादीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता.

उपस्थित—
1. श्री पवनकुमार चुघ अधिवक्ता वादीया की ओर से
2. श्री योगेन्द्र कुमार अधिवक्ता प्रतिवादी सं.—1 की ओर से

कार्यालय उप जिला कलेक्टर जिला श्रीगंगानगर

—:: निर्णय ::— **दिनांकः—** 09/06/26

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादी सं.—1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 19 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—43 पत्थर नं.—20 / 9 का किला नं.—1 ता 25 कुल 6.198 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी के 1 / 4 हिस्सा भूमि पर वादीया के कब्जा काश्त, उसके उपयोग उपभोग एवं उसके लिये प्राप्त हो रही सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत पैदा करने व करवाने से व उक्त विवादित भूमि किसी प्रकार से अन्यत्रं हस्तांतरित रहन बैचान करने से बाज व ममनू रहे।

वाद पत्र में प्रतिवादी सं.—1 ने **प्रार्थना—पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी.पी.सी** पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि वाके चक 19 एच तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.—43 पत्थर सं.—20 / 09 का किला नं.—1 ता 25 का 6.198 हैक्टर कमाण्ड मय खाला खातेदारी भूमि में से वादीया सुचिता शर्मा ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि का हक त्याग दस्तावेज दिंनाक 06.10.2020 पंजीयन दिनाक 07.10.2020 के मुझ प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है। वादीया के उक्त कृषि भूमि में समस्त प्रकार के हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 में निहित हो चूके है। उक्त भूमि में वादीया का कोई हक, अधिकार व टीनेन्सी राईट्स नही रहा है। उक्त पंजीकृत हक त्याग दस्तावेज को केवल सिविल न्यायालय निरस्त करने हेतू कानूनन सक्षम है, राजस्व न्यायालय उक्त पंजीकृत हक त्याग दस्तावेज को निरस्त करने हेतु सक्षम नहीं है। ना ही वादीया का वाद माननीय न्यायालय मे पोषणीय है, इसी स्तर पर काबिल खारिज है। वादी का वाद विधिविरूद्ध तथा वादीया को कोई वाद हेतुक प्राप्त नही है तथा वादीया ने मिथ्या, निराधार, वेग एवं गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया है, जो इसी स्तर पर काबिल खारिज है।

उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव प्रार्थना पत्र वादीया की ओर से पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं.—1 बदयन्ति पूर्वक वादीया के हिस्सा की भूमि को हड़पने की गरज से वादीया को बैंक के ऋण नवीनीकरण के दस्तावेजों का कहकर व उसकी आड़ में वादीया के हिस्सा की

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

विवादित भूमि का अपने पक्ष में हक त्याग का दस्तावेज दिनांक 06.10.2020 को बिना वादीया की जानकारी एवं सहमति निष्पादित करवाकर दिनांक 07.10.2020 को पंजीबद्व करवा लिया अतएवं ऐसा दस्तावेज आरम्भ से शून्य व वादीया के हकों के विपरीत व निष्प्रभावी दस्तावेज है। जिसके प्रतिवादी को कोई कानून अधिकार नहीं होता है। उक्त हक त्याग दस्तावेज दिनांक 06.10.2020 वादीया एवं प्रतिवादी की सहमति से जरिए दस्तावेज हक त्याग निरस्ती/ कैन्सल दिनांक 12.10.2020 को निरस्त किया गया है। जिसमें यह प्रतिवादी ने स्पष्ट अंकन किया है। कि प्रतिवादी हक त्याग दस्तावेज दिनांक 06.10.2020 के आधार पर उक्त कृषि भूमि के सम्बधं में कोई अधिकार नही जतायेगा। इस प्रकार किसी प्रकार से कोई हक का अधिकार प्रतिवादी में उक्त दस्तावेज से निहित नहीं हुए है। वादीया ने अपने हक वाद पत्र में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा है जो माननीय राजस्व न्यायालय ही राज.काश्त.अधि. की धारा 207 की अनुसूचि के तहत राजस्व न्यायालय ही प्रदत कर सकता है।

प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। प्रतिवादी सं.–1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात का भी अध्ययन किया। वादीया द्वारा अपने उक्त वाद पत्र में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का चाहा है। जबकि वादीया ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि के हक त्याग दस्तावेज दिंनाक 06.10.2020 पंजीयन दिनाक 07.10.2020 के प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में कर दिया है। प्रतिवादी सं.–1 ने उक्त कृषि भूमि में समस्त प्रकार के हक व अधिकार प्रतिवादी संख्या 1 में निहित हो चूके है, उक्त भूमि में वादीया का कोई हक, अधिकार नही रहा है। पंजीकृत हक त्याग दस्तावेज सुनवाई करने व पंजीकृत दस्तावेज को निरस्त करने का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है, उक्त पंजीकृत दस्तावेज हक त्याग को सिविल न्यायालय से निरस्त करवाने बिना वादीया इस न्यायालय से कोई अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। वादीया का वाद विधिवर्जित एवं इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। अतः प्रतिवादी सं.–1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद नामंजूर किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–:: आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया (प्रतिवादी सं.–1) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज **दिनांक** 07/06/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उप जिला कलक्टर जिला श्रीगंगानगर

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़